

संख्या-3ए-8-(बैठक)-07 / 2018-...../वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग  
संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

**विषय:-** विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की निर्धारित अधिसीमा को संशोधित करने के संबंध में।

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7487, दिनांक-08.11.2021 एवं यथासंशोधित परिपत्र संख्या-10517, दिनांक-28.11.2023 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारित है।

2. कालान्तर में समकोटि के वाहनों के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है। तदालोक में विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की निर्धारित अधिसीमा को संशोधित करने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. **अतः सम्यक् विचारोपरान्त** विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की निर्धारित अधिसीमा को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदधारक	पूर्व निर्धारित अधिसीमा	संशोधित अधिसीमा
1.	माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के लिए	₹ 30 लाख	₹ 37 लाख
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए	₹ 25 लाख	₹ 30 लाख
3.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए	₹ 20 लाख	₹ 22 लाख
4.	पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए	₹ 16 लाख	₹ 18 लाख
5.	अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए	₹ 14 लाख	₹ 16 लाख
<b>संशोधित अधिसीमा में वाहन की ऑन-रोड कीमत एवं साज-सज्जा में होने वाले अन्य व्यय भी शामिल है।</b>			

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रचना पाटिल)  
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-8-(बैठक)-07 / 2018 - \_\_\_\_\_/वि०

पटना, दिनांक:- \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-8-(बैठक)-07 / 2018 - \_\_\_\_\_/वि०

पटना, दिनांक:- \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-8-(बैठक)-07 / 2018 - \_\_\_\_\_/वि०

पटना, दिनांक:- \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-8-(बैठक)-07 / 2018 - 2875/वि०

पटना, दिनांक:- 23/03/2026

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
23.3.26

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।